भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245157 SG-DL-E-13042023-245157

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] No. 131] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19

DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

[N. C. T. D. No. 19

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय अधिसूचना

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2023

फा. सं. डीएचइ.4(19)/एडिमन.रिग.कमेटी/2022/2223—34.—दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थानों (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु कैपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण और अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रम करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रवेश नियामक समिति का गठन करती है जोकि अधिनियम द्वारा दिये गये प्रावधानों के तहत कार्य का निष्पादन करेगी:

1. श्री संजीव नंदन सहाय, आई.ए.एस. (रिटायर्ड)

– अध्यक्ष

श्री अनंत कुमार, प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि

– सदस्य

प्रो. शीला राय, चेयरपर्सन, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, नई दिल्ली

– सदस्य

सदस्य सचिव सचिव, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(पदानुसार)

– सदस्य

- सदस्य

– सदस्य

उपरोक्त समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू से होकर तीन वर्ष का होगा और अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश व उनके नाम पर.

अशोक कुमार, सचिव (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 13th April, 2023

F. No. DHE.4(19)/Admn.Reg.Committee/2022/ 2223-2234.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the following Admission Regulatory Committee for the purpose to regulate the procedure of admission in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the Act, namely:

1.	Shri Sanjeev Nandan Sahai, IAS (Retd.)	-	Chairperson
2.	Shri Anant Kumar, Engineer-in-Chief, PWD, Govt. of NCT of Delhi	-	Member
3.	Prof. Sheila Rai, Chairperson, India Policy Foundation, New Delhi	-	Member
4.	Dr. (Ms.) Amita Dev, Vice Chancellor, IGDTUW, Delhi	-	Member
5.	Secretary, Department of Technical Education, GNCT of Delhi	-	Member
6.	Secretary, Department of Health, Govt. of NCT of Delhi	-	Member
7.	Secretary, Department of Higher Education, Govt. of NCT of Delhi	-	Member Secretary
			(ex-officio)

The term of the above committee shall be three years commencing from the date following this publication and the term of Chairperson shall be co-terminus with the term of the committee.

> By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR Secy. (Higher Education)